बिहार सारकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०– निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 3189 (S) पटना, दिनांक– 09/5/24

श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में संवेदक श्री मनोज कुमार, नव निर्माण बिल्डर्स, पटना से रू० 50,000/– (पचास हजार) रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक–04.06.2007 को गिरफ्तार होने तथा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–73/07 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7957(एस) सहपठित ज्ञापांक–7958(एस) दिनांक–04.07.2007 के द्वारा श्री श्रीवास्तव को दिनांक–04.06.2007 से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7536(एस) अनु० दिनांक–05.06.2008 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के तहत् आरोप निम्नवत् गठित किया गयाः–

''राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के कार्यपालक अभियंता के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–102 के 13वें 27वें कि०मी० तक पथ के निर्माण कार्य से संबंधित संवेदक श्री मनोज कुमार, नव निर्माण विल्डर्स, पटना से आपके द्वारा रिश्वत की मांग की गयी। संवेदक श्री मनोज कुमार के लिखित आवेदन पर मंत्रीमंडल निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा दिनांक–04.06.2007 को आपके पटना स्थित सरकारी आवास संख्या–43/84, न्यू पुनाईचक, पटना में आपको श्री मनोज कुमार, संवेदक से रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।''

2. विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–719 दिनांक–30.08.2012 द्वारा उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) में निहित प्रावधान के तहत् पुर्नजाँच हेतु विभागीय पत्रांक–4066(एस) अनु० दिनांक–22.05.2013 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को भेजी गयी।

3. पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–7536(एस) दिनांक–05.06.2008 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में आय से अधिक सम्पत्ति मामले में दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–89/07 से संबंधित पूरक आरोप पत्र को विभागीय ज्ञापांक–2655(एस) अनु० दिनांक–28.03.2014 द्वारा सन्निहित किया गया, जिसमें आरोप निम्नवत् हैः–

''आपके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–73/07 के अनुसंधान के क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा पाया गया कि आपके द्वारा आय से ज्ञात स्त्रोतों से काफी अधिक परिसम्पत्तियाँ अर्जित की गयी है। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–89/07 दिनांक–31.07.2007 धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1) ई भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम–1988 अंतर्गत दर्ज किया गया है।''

4. इसी बीच अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न होने के पूर्व ही श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव दिनांक–30.04.2015 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में इनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4361(एस) दिनांक–19.05.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

5. प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–156 दिनांक–10.12.2024 द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् इनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री श्रीवास्तव से विभागीय पत्रांक–2309(एस) अनु० दिनांक–13.03.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

6. श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–29.03.2025 द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने हेतु 04 (चार) सप्ताह समय की मांग की गयी। तदोपरांत उनके अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–29.03.2025 के विभागीय समीक्षोपरांत अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–3208(एस) दिनांक–21.04.2025 द्वारा श्री श्रीवास्तव को 10 (दस) दिनों का समय दिया गया। श्री श्रीवास्तव, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–29.04.2025 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–20.05.2025 द्वारा विभाग को अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित किया गया।

7. श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उनके द्वारा कहा गया है कि उनके मामले में Bihar CCA Rules, 2005 के नियम–17(3), 17(4), 17(23) एवं 18(1) का अनुपालन नहीं किया गया है। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने पूरक बचाव–बयान में उक्त सभी तथ्यों का ही उल्लेख किया गया था, जिसकी समीक्षोपरांत श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाए जाने का मंतव्य गठित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने अभ्यावेदन/निवेदन में बचाव में कोई नया तथ्य का समावेश नहीं किया गया है। इसी बीच श्री श्रीवास्तव द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन के रूप में एक अन्य अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–20.05.2025 समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में श्री श्रीवास्तव द्वारा उन पर प्रमाणित आरोपों के बिन्दु पर कोई अन्य तथ्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि आरोप से अलग हटकर तत्कालीन समय में परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने संबंधी विभागीय आदेश के आलोक में संवेदक को Target दिये जाने, Target को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में संवेदक के विरूद्ध दंड एवं पेनाल्टी आदि अधिरोपित किए जाने का जिक्र किया गया। आर्थिक दंड से बचने हेतु परिवादी मनोज कुमार द्वारा फेबरीकेटेड शिकायत पत्र निगरानी में दाखिल किये जाने आदि का उल्लेख करते हुए Trap Memorandum पर श्री श्रीवास्तव द्वारा सवाल खड़ा किया गया है। उक्त अभ्यावेदन में श्री श्रीवास्तव द्वारा ऐसा कोई विचारणीय तथ्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने में सहायक हो।

8. उपर्युक्त के आलोक में श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/निवेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत स्थायी रूप से पेंशन शून्य किये जाने संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

09. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–9008(एस) अनु० दिनांक–24.11.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–5221 दिनांक–30.03.2026 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–30.04.2015) के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को

प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है:–

(i) स्थायी रूप से पेंशन शून्य।

(ii) श्री श्रीवास्तव के निलंबन अवधि (दिनांक–04.06.2007 से 30.04.2015) का विनियमन नियमानुसार अलग से की जायेगी।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि:– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/ले०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/2/3/6/13/14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री मदन प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–फ्लैट नं०–302, आशीर्वाद अपार्टमेंट, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि:– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–5221 दिनांक–20.03.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग/सारा–01 रा०उ०प०–64/2007 3190(5) पटना, दिनांक :– 09/5/26

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

08.5.2026

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

08.05.26